न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/3537/2006/बीकानेर

1– भलूराम पुत्र महेश्वर, जाति विश्नोई, निवासी ग्राम सलूंडिया, तहसील एवं जिला बीकानेर ।

–अपीलांट

बनाम

1– बृजलाल,
2– बंशीलाल,
पुत्रगण श्री गोरधनराम, जाति विश्नोई, निवासी बीकासर तहसील नोखा, जिला बीकानेर ।
2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व), नोखा, जिला बीकानेर ।

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री जे0के0 पन्त, अधिवक्ता अपीलांट

श्री अजीत लोढ़ा, वकील रेस्पोडेंटस

निर्णय

दिनांकः– 30.01.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 29/2005 बउनवानी भूलराम बनाम बृजलाल व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–04–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस के विरूद्ध एक वाद उपखण्ड अधिकारी, नोखा के न्यायालय में साबिक खसरा नंबर 406 रकबा 85 बीघा 5 बिस्वा हाल खसरा नंबर 736, 809, 814, 840 एवं 842 की कुल 21.92 है0 स्थित ग्राम सलूंडिया के बाबत् पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजियात अपीलांट की खातेदारी की आराजी है एवं गत सेटलमेंट रिकार्ड एवं नक्शा में पुराने खसरा नंबर 406 में

एक कटाणी रास्ता खेत के मध्य में से चलता था । वादी के खेत के पश्चिम दिशा में खेत की सींव से चिपता हुआ एक रास्ता का अंकन गत नक्शा में किया हुआ है, जिसे नक्शा में खेत की पश्चिम सींव से उत्तर दिशा की ओर लगभग 40–45 मीटर तक अंकन किया हुआ है । इसके पश्चात् उक्त रास्ता अपीलांट के खेत पडौसी के पुराने खसरा नंबर 394 में से होकर नक्शा में अंकन किया है, जो अपीलांट के खेत से 300 मीटर की दूरी पर दर्शाया हुआ है। मौके पर इस रास्ते से कभी आवागमन नहीं रहा किन्तु नये सेटलमेंट के दौरान नक्शे में इस रास्ते का अंकन अपीलांट के खेत के पश्चित सीमा से उत्तर दिशा की सीमा से चिपता हुआ अपीलांट के खेत में नये रास्ते का अंकन कर दिया गया है । यह अंकन अवैध एवं शून्य तथा निष्प्रभावी है । अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे । विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2005 के द्वारा अपीलांट/वादी का वाद निरस्त कर दिया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट/वादी ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.04.2006 के द्वारा खारिज की । विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णयों व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट/वादी ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है ।

3– हमनें उपभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4– अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अदालत मातहत ने इस बात पर गोर नहीं किया कि वादी की खातेदारी की विवादित आराजी खसरा नंबर 406 रकबा 85 बीघा 5 बिस्वा में जो कटाणी रास्ता मौजूद है उसका अंकन एवं लोकेशन पूर्व नक्शे में किया हुआ है, इसके विपरीत सेटलमेंट विभाग द्वारा जो नया रास्ता अंकित कर दिया गया है उसमें गत बंदोबस्त में बने नक्शे के विपरीत नया रास्ता अंकित कर दिया जिसके कारण खेत में दो रास्ते हो गये है । सेटलमेंट विभाग को कटाणी रास्ते की लोकेशन बदलने एवं वैकल्पिक नया रास्ता कायम करने का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर गौर नहीं किया कि तनकी संख्या 1 को वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य से पूर्णतया साबित कर दिया जिसके खंडन में रेस्पो0 द्वारा कोई साक्ष्य, सबूत रिकार्ड पर नहीं होते हुए भी उक्त तनकी को वादी के विरूद्ध निर्णित करने में त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि बूलीदेवी को पक्षकार नहीं बनाए जाने के कारण यदि पक्षकार का असंयोजन होना मानते हैं, तो भी न्यायालय उसको सही कर सकता है। वादी का दावा राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 188 के तहत भी है एवं ऐसे दावे में वादी जिसको चाहे उसे पक्षकार बनाएगा। न्यायालय यदि पक्षकार बनाना चाहती है तो स्वयं ही उसको पक्षकार बना देते किन्तु उन्होंने इस आधार पर वाद को निरस्त किए जाने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,

बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.04.2006 एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2005 निरस्त किया जावें तथा वादी/अपीलांट का दावा डिक्री किया जावें।

5— विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । दोनों अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का पूर्ण अवलोकन कर ही निर्णय पारित किया है। आगे कथन किया कि यदि रिकार्ड ऑफ राईट में गड़बड़ हो तो ही अपीलांट/वादी दावा कर सकता है केवल नक्शे में दुरूस्ती के लिए दावा नहीं ला सकता। रास्ता जहां है नए नक्शे में वहीं पर है। अपीलांट/वादी द्वारा वाद लाने का कोई कॉज ऑफ एक्शन ही उत्पन्न नहीं होता तथा बूलीदेवी भूमि की खातेदार होने के कारण आवश्यक पक्षकार है जिसे वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलांट/वादी का कर्तव्य था कि वह वादपत्र में आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाते । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे

6— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट/वादी भलूराम ने उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम सलुण्डिया तहसील नोखा स्थित पुराना खसरा नंबर 406 जिसके नये खसरा नंबर 809 व 814 में हाल सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा खेत के पश्चिमी सीमा पर नया रास्ता कायम किया है जिसे नक्शो में ''अ'' से ''बी'' दर्शाया गया है, उक्त रास्ता का अंकन अवैध शून्य व निष्प्रभावी है व उक्त अवैध रास्ता के अंकन को नक्शा/रिकार्ड से हटाये जाने की घोषणा की जावे तथा वादी के खेत में नये सेटलमेंट रिकार्ड व नक्शा को गत सेटलमेंट नक्शा के अनुसार दुरूस्त किया जावे । उक्त आशय का वाद पेश होने पर विचारण न्यायालय ने तीन तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार निर्णय पारित कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2005 से वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट/वादी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रथम अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2006 के द्वारा अपील खारिज की है ।

8— प्रतिवादी का यह कथन कि खसरा नंबर 394 के खातेदार बूलीदेवी पत्नि गोरधनराम जाति विश्नोई वाद में आवश्यक पक्षकार है उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में तनकी संख्या 3 के विवेचन से यह प्रकट होता है कि खसरा नंबर 206 व 207 जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 मुताबिक बूलीदेवी पत्नि गोरधनराम जाति विश्नोई के नाम खसरा नंबर 206 व 207 का अंकन है, और इनको पक्षकार बनाया जाना चाहिये था, जबकि विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मिलान क्षेत्रफल से खसरा नंबर 206 व 207 साबिक खसरा नंबर 95 व 96 मिन से बनना प्रकट है । इसमें खसरा नंबर 394

का हवाला नहीं है । ऐसी स्थिति में रेस्पो0 का यह कथन कि आवश्यक पक्षकार होते हुए पक्षकार नहीं बनाया गया है समुचित प्रतीत नहीं होता है । न्यायहित में यह सुस्पष्ट स्थिति है कि वादी द्वारा जिससे अनुतोष चाहा जा रहा है उसको पक्षकार के रूप में मुताबिक राजस्व रिकार्ड अंकन हो उसे पक्षकार बनायेगा परन्तु इस प्रकरण की संपूर्ण स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में मुख्य बिन्दु रास्ते के अंकन को दुरूस्त कराने के लिए है, जिसके बाबत् वादी द्वारा विचारण न्यायालय में वाद पेश किया था ।

8— हमनें विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया जिसके अनुसार लाल स्याही से रास्ता मौजा बीकासर नक्शा ट्रेस में अंकित है जो यह प्रकट करता है कि खसरा नंबर 406 के पश्चिम की तरफ आधे हिस्से तक रास्ता खसरा नंबर 406 में एवं उसके बाद खसरा नंबर 394 में अंकित है जो आगे खसरा नंबर 395 में होकर दर्शाया हुआ है । खसरा नंबर 406 के नये खसरा नंबर 809 व 814 पत्रावली में उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल से बनना प्रमाणित है । इसी प्रकार यह भी स्पष्ट है कि वादी के गत खसरा नंबर 406 के पश्चिमी दिशा में 40—45 मीटर तक रास्ते का अंकन है जो 40—45 मीटर बाद खसरा नंबर 394 से होता हुआ 395 तक जाता है उसके पश्चात् वादी के खेत में कोई रास्ते का अंकन नहीं है । जबकि सेटलमेंट विभाग द्वारा नवीन नक्शा ट्रेस में वादी के पुराने खसरा नंबर 406 जिसके हाल खसरा नंबर 809 व 814 बने है, उसमें 40—45 मीटर बाद भी निरन्तर रास्ता दर्शाया गया है । विचारण न्यायालय द्वारा इन दोनों नक्शा ट्रेस पर गौर करते हुए निर्णय पारित किया जाना नहीं पाया जाता है । उनको इन दोनों नक्शों को देखकर यह विनिश्चय करते हुए कि आया पूर्व में यह रास्ता पूर्ण रूप से चालू था अथवा नहीं, स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये थी जो उनके द्वारा नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वह हाल एवं पूर्व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करे और मौके पर रास्ता चालू है अथवा नहीं इस बाबत् उपलब्ध राजस्व रिकार्ड और मौके की स्थिति के अनुसार अपना पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करे ।

9— परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2006 एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2005 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नोखा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह हाल एवं पूर्व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करे तथा उसमें अंकित दोनों रास्तों, रास्ता मौजा बीकासर व रास्ता मौजा नोखा मण्डी के क्रम में मौका स्थिति और राजस्व रिकार्ड की स्थिति के मध्यनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित करे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष